Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 222-2017/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2017
(27 अग्रहायण, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 74/के०अ० 67/1957/धा० 9ख, 15 तथा 15क/2017, दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 – हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017.	685–699
	(प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग –III

हरियाणा सरकार

खान तथा भूविज्ञान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 दिसम्बर, 2017

संख्या का०आ० 74/के०अ० 67/1957/धा० 9ख, 15 तथा 15क/2017.– खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67), की धारा 9 ख, धारा 15 की उपधारा (4) तथा धारा 15 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2017, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 67);

(ख) "प्रभावित क्षेत्र" से अभिप्राय है, खनन से सम्बन्धित संक्रियाओं के कारण प्रभावित क्षेत्र;

(ग) "प्रभावित जनता" से अभिप्राय है, खनन से सम्बन्धित संक्रियाओं के कारण प्रभावित व्यक्ति;

(घ) "लेखापरीक्षक" से अभिप्राय है, प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त कोई चार्टर्ड एकाउंटैन्ट तथा इसमें प्रधान महालेखाकार भी शामिल है;

(ड) "अध्यक्ष" से अभिप्राय है, प्रतिष्ठान का अध्यक्ष;

(च) "समिति" से अभिप्राय है, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें), पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिक्षा विभाग तथा सामाजिक कल्याण विभाग से प्रत्येक एक अधिकारी, जो जिला स्तर अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो, से मिलकर बनने वाली सरकार द्वारा गठित कोई समिति;

(छ) "अंशदान" से अभिप्राय है, केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट संविदा धन/अनिवार्य भाटक/राजशुल्क की ऐसी प्रतिशतता पर जिले में बड़े या लघु खनिज रियायत धारकों से संगृहीत या संगृहीत किए जाने वाला कोई अंशदान;

(ज) "उपायुक्त" से अभिप्राय है, सम्बद्ध जिले का उपायुक्त;

(झ) "प्रतिष्ठान" से अभिप्राय है, नियम 4 के अधीन गठित जिला खनिज प्रतिष्ठान;

(ञ) "निधि" से अभिप्राय है, प्रतिष्ठान की निधि;

(ट) "शासकीय परिषद्" से अभिप्राय है, प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाली परिषद्;

(ठ) "प्रबन्ध समिति" से अभिप्राय है, नामांकित सदस्यों के सिवाय प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाली समिति;

(ड) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ढ) "खनिज रियायत धारक" से अभिप्राय है, किसी खनिज के खनन पट्टे या खनन संविदा का धारक;

(ण) "वर्ष" से अभिप्राय है, प्रथम अप्रैल से प्रारम्भ तथा आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्त वर्ष।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में उन्हें दिये गए हैं।

3. जिले में जिला खनिज प्रतिष्ठान का गठन निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर होगा, अर्थात्:– प्रतिष्ठान की संरचना।

	पदेन सदस्य	
1	**2**	**3**
1	उपायुक्त	अध्यक्ष
2	अपर उपायुक्त	उपाध्यक्ष
3	सम्बद्ध जिले का संसदीय सदस्य	सदस्य
4	जिले के सभी विधान सभा सदस्य	सदस्य
5	सहायक खनन अभियन्ता/खनन अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो	सदस्य सचिव
6	मण्डल वन अधिकारी	सदस्य
7	कार्यकारी अभियन्ता (भवन तथा सड़के)	सदस्य
8	कार्यकारी अभियन्ता, पंचायती राज	सदस्य
9	जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
10	क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	सदस्य
11	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
12	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
	नामांकित सदस्य	
13	एक बड़े खनिज तथा दूसरा लघु खनिज रियायत धारकों में से दो प्रतिनिधि	सदस्य
14	खनिज प्रसंस्करण उद्योग से एक प्रतिनिधि	सदस्य
15	प्रभावित क्षेत्रों के प्रभावित व्यक्तियों के समुदाय से दो प्रतिनिधि	सदस्य
16	खान कर्मकारों का एक प्रतिनिधि	सदस्य
17	जिले में खनन कार्य में दस वर्ष का अनुभव रखने वाला तकनीकी खनन व्यक्ति	सदस्य
18	सरकार के अनुमोदन से अध्यक्ष द्वारा नामांकित कोई अन्य अधिकारी/विशिष्ट व्यक्ति	सदस्य

प्रतिष्ठान का प्रबन्धन।

4. प्रतिष्ठान का प्रबन्धन शासकीय परिषद में निहित होगा जिसमें प्रतिष्ठान के नामांकित सदस्यों सहित सभी सदस्य शामिल होंगे। प्रतिष्ठान, सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी निर्देशों तथा मार्गदर्शनों के अनुसार कार्य करेगा।

शासकीय परिषद की बैठक।

5. (1) शासकीय परिषद् की बैठक, अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बुलाई जाएगी।

(2) बैठक की गणपूर्ती कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी।

(3) प्रतिष्ठान के सभी निर्णय शासकीय परिषद् की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से और यदि अपेक्षित हो, तो मतदान से लिए जाएंगे। बराबरी के मामलों में, प्रतिष्ठान के अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा। शासकीय परिषद् की प्रत्येक बैठक प्रतिष्ठान की बैठक के रूप में समझी जाएगी।

नामांकित सदस्यों की नियुक्ति तथा सेवा के निबन्धन तथा शर्तें।

6. (1) नामांकित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और अध्यक्ष एक अवधि के लिए नामांकित सदस्य की नियुक्ति का नवीकरण कर सकता है।

(2) कोई भी नामांकित सदस्य सरकार को सम्बोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में अपना त्यागपत्र दे सकता है किन्तु जब तक उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाता है पद धारण करेगा।

(3) नामांकित सदस्य राज्य के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को लागू हरियाणा सिविल सेवा नियमों के अनुसार बैठक में उपस्थित होने के लिए खर्चो को पूरा करने के लिए भत्ते प्राप्त करेंगे।

(4) नामांकित सदस्य किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होंगे।

कोई रिक्ति प्रतिष्ठान के कृत्यों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

7. अवधि की समाप्ति, त्याग पत्र, हटाए जाने, अयोग्यता, मृत्यु या किसी कारण, जो भी हो, के कारण प्रतिष्ठान में होने वाली कोई रिक्ति प्रतिष्ठान के कृत्यों को प्रभावित नहीं करेगी।

सदस्य की अयोग्यता।

8. नामांकित सदस्य अयोग्य हो जाएगा यदि वह,–

(क) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है तथा कारावास से दण्डित किया गया है जो सरकार की राय में नैतिक अधमता वाला है;

(ख) विकृतचित्त हो गया है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है;

(ग) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है;

(घ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रित किसी निकाय या निगम की सेवा से हटाया गया है या पदच्युत किया गया है;

(ङ) स्वयं या भागीदार के रूप में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रतिष्ठान के आदेश से किए गए किसी कार्य में या प्रतिष्ठान में या के अधीन या द्वारा या की ओर से किसी संविदा या नियोजन में कोई निजी शेयर या निजी हित रखता है; या

(च) प्रतिष्ठान की ओर से कोई वेतन पाने वाले विधि व्यवसायी के रूप में नियोजित है या प्रतिष्ठान के विरूद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार करता है।

नामांकित सदस्य का हटाया जाना।

9. सरकार किसी नामांकित सदस्य को हटा सकती है यदि वह,–

(क) नियम 8 में विहित किन्हीं अयोग्यताओं में से किसी एक के अध्यधीन आता है;

(ख) प्रतिष्ठान से अवकाश लिए बिना अनुपस्थित रहता है, प्रतिष्ठान की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है;

(ग) सरकार की राय में, उसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि उसका पद पर बना रहना लोक हित के लिए हानिकर है:

परन्तु किसी भी सदस्य को इस खण्ड के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे प्रस्ताव के विरूद्ध अपना प्रतिवेदन देने का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

शासकीय परिषद् की शक्तियां तथा कृत्य।

10. शासकीय परिषद् निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार होगी,–

(i) सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी ऐसे निर्देशों तथा मार्गदर्शनों के अध्यधीन विस्तृत पॉलिसी ढांचा अधिकथित करना तथा इसका पुनर्विलोकन करना;

(ii) स्कीमों तथा परियोजनाओं की सूची तथा प्रायोगिक उपबन्धों को दर्शाते हुए वार्षिक कार्य योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करना तथा उसका अनुमोदन करवाना;

(iii) वार्षिक बजट प्लान का अनुमोदन करना और आगामी वित वर्ष के लिए उसे तैयार करना और पूर्व वचनबद्धता तथा दायित्वों की कुल धन राशि का मूल्यांकन करना;

(iv) परियोजनाओं के वित्तीय अनुशासन को बनाए रखना और समय पर उन्हें पूरा करना;

(v) इन नियमों के अनुसार उपलब्ध निधि से प्रतिष्ठान के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए ऐसे अन्य खर्च का अनुमोदन करना;

(vi) प्रबन्धन समिति की सिफारिशों का अनुमोदन करना ;

(vii) प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरिक्षित लेखों का अधिमानतः नब्बे दिन के भीतर अनुमोदन करना किन्तु पूर्व वर्ष की समाप्ति से एक सौ अस्सी दिन से अधिक नहीं;

(viii) प्रभावित व्यक्तियों की अद्यतन सूची तैयार करना तथा बनाए रखना।

प्रबन्ध समिति की शक्तियां तथा कृत्य।

11. (1) प्रतिष्ठान का दिन प्रतिदिन का प्रबन्धन, प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित किया जाएगा जो प्रतिष्ठान के नामांकित सदस्यों के सिवाय प्रतिष्ठान के सभी सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) प्रबन्ध समिति, –

(i) प्रतिष्ठान के हित तथा अंशदान को संरक्षित करने के लिए अपने कर्तव्यों को करने में सम्यक् तत्परता का प्रयोग करेगी;

(ii) धारकों से अंशदान का समय पर संग्रहण सुनिश्चित करेगी;

(iii) समिति द्वारा तैयार किए गए प्रतिष्ठान के कार्यकलापों के लिए मास्टर योजना या विजन दस्तावेज प्राप्त करेगी

(iv) प्रस्तावित स्कीमों तथा परियोजनाओं के साथ–साथ प्रतिष्ठान की वार्षिक योजना तथा वार्षिक बजट तैयार करने में सहायता करेगी;

(v) प्रतिष्ठान द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना, स्कीमों तथा परियोजनाओं का पर्यवेक्षण तथा निष्पादन सुनिश्चित करेगी;

(vi) परियोजनाओं की स्वीकृति देगी;

(vii) सरकार के पूर्व अनुमोदन से सरकारी अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रतिष्ठान के नाम से लेखों के माध्यम से निधि का संचालन करेगी;

(viii) निधि के उपयोग की प्रगति की समीक्षा करेगी;

(ix) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर प्रतिष्ठान के अनुमोदन के लिए उसके सम्मुख वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ लेखापरीक्षित लेखे रखेगी;

(x) सभी अन्य कार्य करेगी जो प्रतिष्ठान के निर्बाध कार्य करने तथा प्रबन्धन के लिए आवश्यक हों।

(3) प्रबन्ध समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

निधि।

12. (1) निधि में निम्नलिखित जमा होंगे,–

(i) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए सभी अनुदान, परिदान, चन्दा तथा उपहार;

(ii) सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रतिष्ठान द्वारा उधार ली गई राशि;

(iii) किसी भी प्रकार के किसी स्रोत से प्रतिष्ठान द्वारा या की ओर से प्राप्त सभी अन्य राशियां;

(iv) बड़े खनिज के सम्बन्ध में प्राप्त अंशदान;

(v) लघु खनिजों के सम्बन्ध में, हरियाणा लघु खनिज रियायत, खनिजों के संग्रहण, परिवहन तथा अवैध खनन निवारण नियम, 2012 के अनुसार स्थापित खान तथा खनिज विकास तथा विनियमन निधि में प्राप्त कुल राशि का एक तिहाई;

(vi) निवेश तथा अन्य निक्षेप तथा उस पर प्रोद्भूत ब्याज तथा उससे उत्पन्न कोई अन्य आय; तथा

(vii) प्रतिष्ठान की सभी अन्य सम्पत्तियां तथा उससे प्राप्त या उसके मूल्यांकन से आय।

(2) प्रतिष्ठान के लिए भुगतान जिले में संविदाकारों/पट्टाधारियों से मासिक किश्तों सहित अग्रिम में संगृहीत किया जाएगा तथा सीधा प्रतिष्ठान के खाते में निक्षेप किया जाएगा। यदि कोई भिन्न राशि राजशुल्क के निर्धारण के समय पर प्रोद्भूत होती है, तो वह तुरन्त प्रतिष्ठान के खाते में निक्षेप की जाएगी।

निधि का संचालन।

13. निधि केवल प्रतिष्ठान के नाम से प्रत्येक जिले में सरकारी अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में ब्याज वाले खाते में रखी जाएगी तथा लेखे दो पदाभिहित हस्ताक्षरियों, एक अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जाएगा और दूसरा सदस्य सचिव होगा, के संयुक्त हस्ताक्षरों के अधीन संचालित किये जाएंगे। प्रतिष्ठान निधि की लेखा पुस्तक बनाए रखेगा।

निधि का उपयोग।

14. निधि निम्नलिखित रीति में उपयोग की जाएगी, अर्थात्:–

(1) सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी मार्गदर्शनों के अनुसार निधि का बीस प्रतिशत क्षेत्र में पूरे होने वाले खनन कार्यकलापों के बाद भविष्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए स्थायी निधि के रूप में अलग रखा जाएगा।

(2) निधि का साठ प्रतिशत निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाएगाः–

(क) पेय जल आपूर्ति– केन्द्रीयकृत शुद्विकरण प्रणाली, जल उपचार संयन्त्र, स्थायी/अस्थायी जल वितरण नेटवर्क जिसमें पेय जल, जल आपूर्ती प्रणाली के लिए पाईप डालने के लिए सुविधाएं भी शामिल है;

(ख) केन्द्रीयकृत परिरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपाय क्षेत्र में बहिः स्राव उपचार संयन्त्र, नदियों, झीलों, तालाबों, भू–जल, अन्य जल स्रोतो के प्रदूषण निवारण, खनन संक्रियाओं तथा ढेर से होने वाले शोर, वायु तथा धूल प्रदूषण निवारण, खान जल निकास प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण टेक्नोलोजी के लिए उपाय तथा खान कार्यों या परिव्यक्त, खनिज क्षेत्रों की मरम्मत (पुनरूद्वार), सुधार तथा पुनर्वास तथा अन्य वायु, जल तथा पर्यावरण स्नेही तथा जारी रखने योग्य खान विकास के लिए अपेक्षित सतह प्रदूषण नियन्त्रण प्रक्रिया के लिए उपाय ;

(ग) स्वास्थ्य खतरों से सम्बन्धित खनन संक्रियाओं से प्रभावित स्थानीय खान कर्मकारों के कल्याण, स्वास्थ्य स्थिति के सुधार तथा संरक्षण हेतु;

(घ) मरीजों के पात्र विधिक वारिसों को अनुग्रह राशि का भुगतान;

(ड) नियमित स्वास्थ्य जांच कैम्प हेतु;

(च) प्रभावित व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए सामूहिक बीमा स्कीम हेतु;

(छ) प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक/माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं हेतु तथा स्थानीय निकायों, राज्य तथा केंद्रीय सरकार के विद्यमान स्वास्थ्य देख–रेख अवसंरचना को उन्नत करने हेतु;

(ज) दूरवर्ती क्षेत्रों में छात्रों/अध्यापकों के लिए विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा–कक्षों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कला तथा शिल्प कक्ष, शौचालयों ब्लाकों, आवासीय होस्टलों के निमार्ण, खेल अवसंरचना, अध्यापकों/अन्य सहायता अमले को लगाने, ई–शिक्षा स्थापना, परिवहन सुविधाओं (बस/वैन/साईकल/रिक्शा इत्यादि) की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और आगे आहार से सम्बन्धित कार्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे;

(झ) महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण हेतु– मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य, कुपोषण, संक्रामक बीमारियों इत्यादि की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कार्यक्रम हेतु ;

(ञ) वृद्ध तथा अशक्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु;

(ट) स्थानीय पात्र व्यक्तियों की आजीविका सहायता, आमदनी उत्पन्न करने तथा आर्थिक कार्यकलापों के लिए कौशल विकास करवाया जाएगा। इसमें प्रशिक्षण, कौशल विकास केन्द्र का विकास, स्वयं रोजगार स्कीमें तथा स्वयं सहायता समूहों की सहायता तथा ऐसे स्वयं रोजगार आर्थिक कार्यकलापों के लिए उन्नत तथा पिछड़े क्षेत्रों के संयोजन की व्यवस्था शामिल हैं;

(ठ) अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन तथा निपटान, सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने, उचित जल निकास तथा मलजल उपचार संयन्त्र की व्यवस्था, गंदे कीचड़ के निपटान की व्यवस्था, शौचालयों तथा अन्य सम्बन्धित कार्यकलापों की व्यवस्था की जाएगी।

(3) बीस प्रतिशत निधि निम्नलिखित के लिए उपयोग की जाएगीः–

(क) सडकों, पुलों, रेलों तथा जल मार्ग परियोजनाओं की व्यवस्था करने हेतु;

(ख) सिंचाई के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने, उपयुक्त तथा उन्नत सिंचाई तकनीकों को अपनाने के लिए;

(ग) ऊर्जा (माईक्रो हाईडल सहित) तथा वर्षा जल एकत्र करने की प्रणाली के वैकल्पिक स्रोतों के विकास, पौधारोपण, फलोधान, समेकित कृषि तथा आर्थिक वनखंड का विकास तथा कैचमन्टों की मरम्मत हेतु :

परन्तु उपनियम (2) तथा (3) के अनुसार निधियों का उपयोग करते समय, निधि का कम से कम 60 प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी०एम०के०के०के० वाई०)।

15. यथा अधिसूचित प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी.एम.के.के.के.वाई) समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी योजना के मार्गदर्शनों के अनुसार प्रतिष्ठान को प्रोद्भूत निधियों का उपयोग करते हुए सम्बन्धित जिलों के प्रतिष्ठान द्वारा लागू की जाएगी।

प्रभावित क्षेत्रों तथा जनता की पहचान।

16. (1) प्रभावित क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं,–

(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहां प्रत्यक्ष खनन सम्बन्धी संक्रियाओं जैसे कि उत्खनन, खनन, ब्लास्टिंग, सज्जीकरण तथा अपशिष्ट निपटान, अधिक भार ढेर, टेलिंग तालाब, परिवहन कोरिडोर इत्यादि स्थित हैं तथा जिसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगेः–

(i) ऐसे गांव तथा ग्राम पंचायते जिनमें खान स्थित हैं तथा परिचालन में हैं। ऐसे खनन क्षेत्र उसी स्थिति में समीपवर्ती गांव, ब्लाक या जिले में विस्तारित हो सकते हैं;

(ii) किसी खान या खानों के समूह में ऐसे घेरे के भीतर कोई क्षेत्र, जो चाहे वह सम्बद्ध जिले या निकटवर्ती जिले के भीतर आता हो, को ध्यान में रखे बिना सरकार द्वारा विर्निदिष्ट किया जाएगा;

(iii) गांव जिनमें खानों द्वारा विस्थापित परिवारों को परियोजना प्राधिकरणों द्वारा पुनः बसाया गया या पूनर्वास किया गया है;

(iv) गांव जो उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्रों पर सार्थक रूप से निर्भर है तथा परियोजना क्षेत्रों पर भोगाधिकार तथा परम्परागत अधिकार रखते है। उदाहरणार्थ पशु चरानें, लघु वन उपज इत्यादि के संग्रहण हेतु;

(ख) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र– ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्थानीय जनता खनन सम्बन्धी संक्रियाओं के कारण आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है। खनन का मुख्य नकारात्मक संघटन जल, मिट्टी तथा वायु गुणवत्ता की विकृति, नदी बहावों में कमी तथा भू–जल की क्षीणता, खनन संक्रियाओं, खनिजों के परिवहन के कारण संकुलन तथा प्रदूषण, विघमान अवसंरचना तथा संसाधनों पर भार में वृद्धि के रूप में हो सकता है।

(2) प्रभावित जनताः–

(क) निम्नलिखित प्रभावित व्यक्तियों में शामिल होंगे,–

(i) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम 30) की धारा 3 (ग) के अधीन यथा परिभाषित प्रभावित कुटुम्ब;

(ii) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम 30) की धारा 3 (ट) के अधीन यथा परिभाषित विस्थापित कुटुम्ब ;

(iii) कोई अन्य जो सम्बद्व ग्राम पंचायत द्वारा उचित रूप से परिलक्षित किया जाए ;

(ख) खनन से प्रभावित व्यक्तियों में वह जनता शामिल होगी, जिनका खनन की जा रही भूमि पर विधिक तथा व्यावसायिक अधिकार है तथा जिनके भोगाधिकार तथा परम्परागत अधिकार भी है;

(ग) प्रभावित कुटुम्बों की, यथा सम्भव, ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, के स्थानीय/चयनित प्रतिनिधियों के परामर्श से पहचान की जाएगी;

कार्यों या संविदाओं का लागूकरण।

17. (1) प्रतिष्ठान द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्य, केवल सरकारी विभागों, एंजेसियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से पूरे किए जाएंगे जो साधारणतः ऐसे कार्य करते हैं जो कार्य करते या संविदा देते समय संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सरकारी परियोजनाओं को यथा लागू सुसंगत मानकों तथा प्रबन्ध प्रक्रिया का पालन करेंगे।

(2) कार्य का तकनीकी अनुमोदन तथा पर्यवेक्षण, सम्बद्ध विभाग में यथा लागू शक्तियों के प्रशासकीय प्रत्यायोजन के अधीन ऐसा करने के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा देखभाल की जाएगी।

(3) ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में, जो सरकारी विभाग, एजेंसियों या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से निष्पादित नहीं किए जा सकते हैं, शासकीय परिषद् का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करते हुए, प्रबन्ध समिति किसी अन्य सक्षम तथा समर्थ एजेंसी को कार्य दे सकती है।

पारदर्शिता का अनुपालना।

18. सरकार प्रत्येक जिले के प्रतिष्ठान के लिए वैबपोर्टल विकसित करेगी जिस पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित तथा अद्यतन रखी जाएगी, अर्थात्:–

(i) प्रतिष्ठान की संरचना के ब्यौरे;

(ii) खनन से प्रभावित क्षेत्रों तथा जनता की सूची;

(iii) पट्टों तथा संविदाओं से प्राप्त सभी अशंदानों के त्रैमासिक ब्यौरे;

(iv) प्रतिष्ठान की सभी बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त तथा की गई कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर)

(v) वार्षिक योजना तथा बजट;

(vi) प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट;

(vii) चल रहे कार्यों की स्थिति जिसमें कार्यों का वर्णन, लाभार्थियों के ब्यौरे, अनुमानित लागत, कार्यान्वित करने वाली एजेंसी का नाम, कार्य के प्रारम्भ तथा समापन की अनुमानित तिथि तथा पिछली तिमाही तक की वित्तीय तथा भौतिक प्रगति;

(viii) प्रतिष्ठान द्वारा किए गए विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के अधीन बनाई गई लाभार्थियों की सूची;

(ix) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22) के अधीन स्वैच्छिक प्रकटीकरण;

खर्चे।

19. प्रतिष्ठान के निम्नलिखित खर्चे निधि से पूरे किए जाएंगे अर्थात्:–

(क) प्रतिष्ठान के कार्यों के संचालन या निष्पादन में तथा प्रतिष्ठान निधि में सम्मिलित निवेशों तथा परिसम्पत्तियों की वसूली, संरक्षण या लाभ के लिए तथा प्रतिष्ठान के हितों के संरक्षण के लिए उचित रूप से उपगत सभी खर्चे;

(ख) अंशदान तथा/या किसी अन्य साधन, जो प्रोद्भूत हो सकते है,से प्राप्त करने के लिए सदस्यों द्वारा उपगत सभी खर्चे (जिसमें किसी करार या अन्य विलेखों के निष्पादन तथा/या रजिस्ट्रशेन से आनुषंगिक खर्चे शामिल है);

(ग) व्यावसायिक फीसों तथा किसी विधिक सलाहकार की लागतों सहित प्रतिष्ठान के कार्यों से सम्बन्धित सदस्यों द्वारा या उस के विरूद्ध किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सभी खर्चे;

(घ) प्रतिष्ठान के कार्यों के सम्बन्ध में भुगतान/भुगतानयोग्य सभी उद्ग्रहणों, शुल्कों तथा अन्य प्रभारों सहित प्रतिष्ठान के संचालन या निष्पादन में उपगत सभी विधिक वैधानिक खर्चे;

(ड.) सरकार के मानकों के अनुसार इसकी बैठकें बुलाने तथा अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सभी खर्चे;

(च) निधि का संचालन शत प्रतिशत नकदी रहित होगा तथा किसी भी मामले में 5000/– रुपये से अधिक की कोई भी राशि रियल–टाईम ग्रॉस सैटलमेंट सिस्टम (आर.टी.जी.एस)/अन्य वैद्य तथा विधिक ढ़ग के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप के सिवाय भुगतान नहीं की जाएगी।

लेखें तथा लेखापरीक्षा।

20. (1) प्रतिष्ठान के वार्षिक लेखे वित्त वर्ष की समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर तैयार किए जायेंगे। प्रतिष्ठान के लेखे प्रतिष्ठान द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रत्येक वर्ष अंतरिम रूप से लेखापरीक्षित किए जाएंगे।

(2) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के बाद लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), हरियाणा द्वारा लेखापरीक्षित करवाए जाएंगे।

(3) उप नियम (1) के अधीन लेखापरीक्षा वित्त वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर पूरी की जाएंगी तथा उपनियम (2) के अधीन लेखापरीक्षा वित्त वर्ष की समाप्ति के छह मास के भीतर पूरी की जाएंगी:

परन्तु सरकार के पूर्व अनुमोदन से उपनियम (1) तथा (2) में लेखापरीक्षाओं का एक साथ निष्पादन वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ मास की अवधि तक विस्तारित किया जा सकता है।

वार्षिक रिपोर्ट।

21. (1) वित्त वर्ष की समाप्ति की तिथि से नौ मास के भीतर, प्रतिष्ठान का सदस्य सचिव सम्बन्धित वित्त वर्ष के लिए इसके कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करवायेगा तथा प्रतिष्ठान के सम्मुख उसे रखेगा :

परन्तु अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से नौ मास की यह अवधि दूसरी तीन मास की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।

(2) वार्षिक रिपोर्ट प्रतिष्ठान द्वारा इसके अनुमोदन की तिथि से एक मास के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जाएगी तथा प्रतिष्ठान की वैबसाईट पर भी डाली जाएगी।

(3) प्रत्येक प्रतिष्ठान की वार्षिक रिपोर्ट आगामी मास, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट सरकार द्वारा प्राप्त की गई है, में राज्य विधानसभा के आगामी सत्र में उसके सदन के सम्मुख रखी जाएगी।

प्रशासकीय व्यवस्था।

22. (1) सरकार प्रतिष्ठान के प्रबन्ध के लिए तथा वार्षिक योजना के निष्पादन हेतु, जो प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, अपने नियन्त्रण के अधीन कार्यरत कार्मिक की ऐसी सेवाएं मुहैया करवाएगी।

(2) प्रतिष्ठान को प्रशासकीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराने के लिए सरकार से उसके विभागों/उपक्रमों से कोर कार्मिकों की अपेक्षित संख्या मुहैया कराने के लिए अनुरोध कर सकता है। ऐसे कार्मिकों की सेवाएं उनके अपने सम्बन्धित संवर्ग में निरन्तर बनी रहेंगी।

(3) प्रतिष्ठान ऐसी सेवाएं मुहैया कराने के लिए सेवा प्रदाताओं से भी मांग कर सकता है जो प्रतिष्ठान के निर्बाध कार्य करने के लिए आवश्यक हों तथा इसके कार्यों के लिए उपगत फुटकर खर्च मुहैया करा सकता है।

सदस्यों का दायित्व।

23. पदेन सदस्य सद्भावनापूर्वक, सम्यक तत्परता से सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के लिए दायी नहीं होंगे। सद्भावपूर्वक किसी बैंकर, दलाल, अभिरक्षक या अन्य व्यक्ति जिसके पास निक्षेप की गई या रखी गई प्रतिष्ठान की निधि के किसी निवेश के मूल्य में न तो कमी या न्यूनता के लिए और न ही अन्यथा से किसी अस्वैच्छिक हानि के लिए भी दायी अथवा उत्तरदायी नहीं होंगे।

राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति।

24. निम्नलिखित राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति वार्षिक आधार पर प्रतिष्ठान द्वारा किए गए कार्यों का पुनरीक्षण करेगी:–

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम/पदनाम	हैसियत
1	2	3
1	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खान तथा भूविज्ञान विभाग	अध्यक्ष
2	वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो विशेष सचिव की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
3	पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि जो निदेशक की पदवी से नीचे का न हो।	स्दस्य
4	वन विभाग का प्रतिनिधि जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
5	स्वास्थ्य विभाग का प्रतिनिधि जो विशेष सचिव/या महानिदेशक की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
6	पंचायत तथा विकास विभाग का प्रतिनिधि जो विशेष सचिव या निदेशक की पदवी से नीचे का न हो।	सदस्य
7	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़के) हरियाणा।	सदस्य
8	मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य, हरियाणा।	सदस्य
9	निदेशक, खान तथा भूविज्ञान, हरियाणा	सदस्य–सचिव
10	राज्य खनन अभियन्ता, खान तथा भूविज्ञान विभाग, हरियाणा	सदस्य
11	अन्य सम्बन्धित विभागों का कोई अन्य अधिकारी/ अधिकारियों तथा/ या सम्बद्ध क्षेत्र के खनिज रियायत धारकों के प्रतिनिधि जो समिति या अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किये जायें।	विशेष आमन्त्रिती

(2) राज्य स्तरीय पुनरीक्षण समिति प्रतिष्ठान द्वारा किए गए सभी कार्यों/कार्यकलापों का पुनरीक्षण करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिष्ठान द्वारा किए गए सभी कार्य उपबंधों के इन नियमों के अनुसार होंगे। समिति, प्रतिष्ठान द्वारा किए गए कार्यों/कार्यकलापों का पुनरीक्षण वार्षिक आधार पर करेगी। पुनरीक्षण समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

अपूर्व कुमार सिंह,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खान तथा भूविज्ञान विभाग।